



प्रेस नोट

दिनांक 18.05.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.05.2025 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभि० संदीप पुत्र किशन (उम्र करीब 24 वर्ष) नि०ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड चिल्ली मोड के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में मु०अ०सं० 232/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

संदीप पुत्र किशन निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

01 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 467/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राठ हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० शिवम दत्त
2. का० अभिषेक राजपूत
3. का० अमित कुमार

